5 फरवरी से ग्राम उत्थान शिविर लगेंगे

दौसा। 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026' में प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के क्रम में 5 से 9 फरवरी तक विभिन्न गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि 5 फरवरी को दौसा, अरनिया, गुढ़ा आशिकपुरा, घूमणा, गाजीपुर, बैजूपाड़ा, मण्डावरी, बड़ागांव, निजामपुरा, बनियाना एवं कुण्डल गिरदावर सर्किल पर शिविर का आयोजन किया जाएगा।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'केन्द्रीय बजट भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लू प्रिंट'

प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुये केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह।

- **जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार 'कर्तव्य भवन' से बना यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर जोर देता है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना तथा तीसरा कर्तव्य 'सबका साथ, सबका विकास' के विज़न को साकार करना है**

दौसा। जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केन्द्रीय बजट 2026-27 को भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लू प्रिंट बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने 'विकसित भारत' बनाने के लिए इस बजट में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है, जिसके लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिला प्रभारी मंत्री यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में बजट को लेकर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों को केन्द्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं, सरकार की विकास प्राथमिकताओं तथा जनकल्याण से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दे रहे थे।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार 'कर्तव्य भवन' से बना यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर जोर देता है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना तथा तीसरा कर्तव्य 'सबका साथ, सबका विकास' के विज़न को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कर्तव्यों के अनुरूप यह बजट हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नीव रखने वाला है, जो गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भावी पीढ़ियों के विकास के विजन के साथ यह बजट प्रस्तुत किया है, जो 2047 में 'विकसित भारत' बनाने का रोड मेप देता है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए पश्चिम बंगाल से गुजरात तक ग्रीन कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की घोषणा की गई है। हर शहर को अपनी योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए सीईआर योजना शुरू की गई है, जिसमें 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही, म्यूनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की गई है, जिस पर केन्द्र सरकार 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि देगी।

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि तकनीक के युग में किसी भी देश की प्रगति के लिए तकनीक का विकास सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। इससे विकास की एक श्रृंखला बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने बजट में तकनीक और आधारभूत विकास पर विशेष जोर दिया है। सेमी कंडक्टर और माइक्रो चिप के उत्पादन की पूरी सप्लाई चेन विकसित करने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। तकनीक के विकास के इन प्रयासों का युवाओं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे और रोजगार व्यक्ति को उद्यमी बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर हैं। 15 हजार विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। यूनिवर्सिटी टाउन विकसित करने की घोषणा की गई है, जहां विज्ञान, तकनीक एवं इंजीनियरिंग का अध्ययन होगा। हर जिले में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। दिव्यांगजन के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए

किशनगढ़ बास की 'खाई' पर 5.60 करोड़ खर्च कर लगेगा

- **सवाल यह भी है कि क्या अब नगर पालिका गंदे पानी को यूजेबल बनाने के साथ "खाई" को अतिक्रमण से मुक्त दिलाएगी**

किशनगढ़ बास । शहर की पुरानी आबादी के बीचो बीच किले के चारों ओर स्थित एतिहासिक खाई है जिस पर जगह जगह वर्षों से लोगों ने कच्चे और पक्के निर्माण कर कब्जा कर खाई को सुकडा किया हुआ है। इसमें अभी भी शहर के करीब 12 वार्ड का गंदा पानी आता है। अब ऐसी स्थिति में नगर पालिका खाई में एकत्रित होने वाले गंदे पानी को टैपिंग कर साफ करने का प्लांट लगाएगी जिससे गंदे पानी को साफ कर पानी को यूजेबल बनाया जाएगा।

इस प्लांट को लगाने के लिए 5.60 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और जिसका वर्क आर्डर भी जारी हो चुका हैं। यह कार्य 2026 में पूरा भी कर दिया जाएगा। ऐसे में बात आती है कि क्या नगर पालिका खाई पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने में हिम्मत दिखाएंगी ? जो शहर में लोगों के बीच बड़ा सवाल बना हुआ है।

यह कार्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जाएगा जिससे कि शहर के प्राचीन और ऐतिहासिक खाई का जीर्णोद्धार व पुनर्विकास किया जाकर एकत्रित गंदे पानी को वैज्ञानिक पद्धिति से ट्रीटमेंट कर यूजेबल बनाया जाएगा। इस खाई में बारिश के साथ शहर के करीब 12 वार्डों का प्रतिदिन नालियों एवं नालों से होकर गंदा पानी बहकर बड़ी मात्रा में खाई में पहुंचता है।

अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल ने बताया कि इस प्लांट में रोजाना करीब 4 एमएलडी गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर उपयोगी बनाया जायेगा. जिससे शहर में किये गये पौधरोपण स्थलों में सिंचाई, साफ-सफाई धुलाई जल की बड़ी मात्रा में आपूर्ति संभव होगी. जरूरत पड़ने पर अग्निशमन वाहनों, टेंकरों को भी इसी पानी से भरकर आग बुझाने में उपयोग किया जा सकेगा. वॉटर ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज निकलेगा, वह खाद के रूप में उपयोगी होगा।

वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1 कलेक्शन चेंबर, एक संपवेल, 2 एसबीआर टैंक बनाने सहित इलेक्ट्रोमेकेनिकल मशीनरी लगाई जाएगी 4 एमएलडी क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट एसबीआर टेक्नोलॉजी पर कार्य करेगा. खाई किनारे नाला टैपिंग कर पाइप लाइन बिछाकर प्लांट के कलेक्शन चेंबर से जोड़ा जायेगा। नालों का गंदा पानी कलेक्शन चेम्बर से होते हुए संपवेल में इकट्ठा होगा. जहां लगी डिस्ट्रॉयटर और क्लासिफायर छलनियों से मोटा कचरा अलग होगा और संपवेल से एसबीआर-1 और एसबीआर-2 में मिट्टी और दूसरे घुलनशील पदार्थो वाला गंदा पानी डाला जायेगा।

खाई का गंदा पानी इस तरह साफ होगा पानीएसबीआर की पद्धित के तहत 4-4 घंटे की प्रोसेस में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर एंजाइम पानी को साफ करने का कार्य करते हैं। पानी में घुला कचरा और दूसरे हानिकारक पदार्थ टैंक की तली में बैठ जाते हैं। निश्चित समय के बाद एसबीआर टैंक से ऊपर के साफ पानी को डिकेन्डर द्वारा निकालकर फ़िल्टरेशन टैंक में जमा किया जाएगा। इसके बाद प्रयोगशाला में जांच कर साफ पानी का फिर उपयोग किया जा सकता है। एसबीआर टैंक की तली में जमा स्लज को स्लज टैंक से बाहर निकालकर खाद आदि मैन्योर के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

बड़ा सवाल यह भी क्या खाई पर से अतिक्रमण हटेगा ?

यह तो शहर के लिए एक अच्छी खबर है कि 5 . 60 करोड खर्च कर नगर पालिका खाई के गंदे पानी को यूजेबल करेगी। लेकिन इस बीच नगर पालिका को लेकर जो सवाल उठ रहे वह यह है कि नगर पालिका क्या खाई पर हो पक्के व कच्चे अतिक्रमण को हटाने की हिम्मत दिखाएंगी। यह हिम्मत दिखाने की बात इसलिए उठ रहीं हैं कि नगर पालिका खाई पर हो रहे अतिक्रमण को चिह्नित कर नोटिस दिए जाने की कार्रवाई आज से तीन साल पहले कर चुकी हैं। पर पता नहीं किस दबाव में अधिकारी कारवाई नहीं कर सकें। बाद में नोटिस की कार्रवाई का खूब मजाक भी उड़ाया गया। फिर भी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे।

अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर तहसीलदार ने विधायक को जेल भेजने की धमकी दी

दौसा। दौसा जिले में लोकसेवको द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार एवं अनदेखी करना आम बात हो गई है। ऐसा ही मामला सोमवार को जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पहुंचे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश मांगें जाने पर तहसीलदार गजानंद मीणा ने विधायक को जेल भेजने तक की धमकी दे दी। जिसके चलते मौके पर मामला गरमा गया, तथा विधायक एवं तहसीलदार के बीच जमकर तकरार हुई। उधर मौके पर उपस्थित पुलिस एवं अन्य लोगो ने समझाईश कर मामला शांत कराया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर-दौसा हाईवे पर ट्रक यूनियन के सामने रानी की बीड़ के नाम पर 12 बीघा जमीन रिकॉर्ड में दर्ज है। दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा को उक्त भूमि पर अवैध रुप से पुख्ता निर्माण करने तथा आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के आधार पर सोमवार को प्रात:11 बजे तहसीलदार गजानंद मीणा मय जाप्त के पहुंचे तथा पुख्ता अतिक्रमण ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही शुरु कर दी। इधर स्थानीय लोगो द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन भारी पुलिस जाप्ते के चलते विरोध नही कर पाये।

वही दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की सूचना मिलते ही दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा मौके पर पहुंच गये तथा तहसीलदार गजानंद मीणा से ध्वस्त की कार्यवाही रोकते हुये अतिक्रमण हटाने के आदेश मांगे। इस पर तहसीलदार ने कहा कि सरकारी जमीन का मालिक मैं खुद हूं, मुझे कौन आदेश देगा। जमीन मेरी है, आप फालतू की बात मत करो। इसे सुनकर विधायक गुस्सा हो गए और गरीबों के मकान तोड़ने का आरोप लगाया। दोनो के बीच मामला उक्त बढ गया जब तहसीलदार गजानंद मीणा ने ध्वस्त की कार्यवाही रोके जाने पर जेल भेजने की धमकी दे डाली। इधर तहसीलदार द्वारा जेल भेजे जाने की धमकी देते हुये विधायक दीनदयाल बैरवा गुस्से मे हो, जिसके चलते मामला गरमा गया तथा दोनो के बीच जमकर तकरार हुई। इधर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों में बीच-बचाव किया। इसके बाद तहसीलदार ने अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा ने कहा कि 12 बीघा बेशकीमती भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रानी की बीड के नाम से दर्ज है। जिस पर भू माफियाओं ने अवैध रूप से कॉलोनी काट दी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन विधायक ने कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि रानी की बीड के नाम से दर्ज भूमि पर रह रहे कई लोगों के पास पट्टे हैं और कई लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई की सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा और तहसीलदार से कोर्ट का आदेश मांगा तो वो मेरे पर बिफर गए और खुद को जमीन का मालिक बताने लगे। उन्होने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए जेल भेजने की धमकी दी। मैंने कलेक्टर से बात कर गरीब लोगों के घर तोड़ने को लेकर आपत्ति जताई है।

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरी अभिभाष्या श्रीमती उमराव पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द, निवासी-ए-270, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या का ज्येष्ठ पुत्र कमल वाल्मिकी एवं पुत्रवधु श्रीमती धरमती देवी पत्नी कमल वाल्मिकी मेरी अभिभाष्या के कहने में नही हैं तथा मनमर्जी करते हैं, सेवा सुश्रुषा नही करते हैं एवं कमल वाल्मिकी शराब पीकर झगड़ा करता है तथा मेरी अभिभाष्या की सम्पत्ति को उधरने बेचने पर आमादा है, जिस कारण मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र कमल वाल्मिकी एवं पुत्रवधु श्रीमती धरमती, देवी को सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध समाप्त कर उसको अपनी जाति जिन्दगी, जायदाद एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति कमल वाल्मिकी एवं पुत्रवधु श्रीमती धरमती देवी से किसी प्रकार का कोई लेनदेन, व्यापार, संव्यवहार आदि करता हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी, मेरी अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
दिनांक (राजकुमार गोयल) एडवोकेट
मोबाईल : 9829189790

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
-: आवश्यक सूचना:-
आवास संख्या 1/525, एस.डब्ल्यू.बी. योजना अलवर जो कि मूलतः श्रीमती गोपाली बाई पत्नि श्री कमल चन्द की जयें आवंटन पत्रांक 6531 दिनांक 07.07.1983 एवं संशोधित आवंटन पत्रांक 4181 दिनांक 13.09.1987 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अंदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 25.07.2013 को श्री राजकुमार पुत्र श्री पूरण चन्द के पक्ष में जारी कर दिया गया था श्री राजकुमार द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 07.08.2013 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री राजकुमार की मृत्यु दिनांक 01.06.2015 को हो जाने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री प्रतीश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत स्लीजडीड (हस्कयान पत्र) दिनांक 17.09.2025 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/525, एस.डब्ल्यू.बी. योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो यह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री प्रतीश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राजकुमार के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी। उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत अलवर

कार्यालय उपायुक्त (विधाधर जोन) नगर निगम, जयपुर
क्रमांक- एफ-55/ वि. जोन/ ज.न.नि./ 2026/3538
सार्वजनिक सूचना दिनांक -03.02.2026
भूखण्ड नं. 40, श्याम नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (बस्ती - सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती गोपाल कंवर पत्नी श्री पाबूदान सिंह के पक्ष में दिनांक 190.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। श्रीमती गोपाल कंवर पत्नी श्री पाबूदान सिंह ने जरिये पंजीकृत मुख्त्यारनामा आम दिनांक 31.03.2012 को मूल भूखण्ड का पूर्वी भाग क्षेत्र 96.00 वर्गगज श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पत्नी श्री बाबूलाल अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया। श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पत्नी श्री बाबूलाल अग्रवाल ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2012 को मूल भूखण्ड का पूर्वी भाग क्षेत्र 96.00 वर्गगज श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री शिम्भूदयाल यादव को विक्रय कर दिया। श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री शिम्भूदयाल यादव ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2012 को मूल भूखण्ड का पूर्वी भाग क्षेत्र 96.00 वर्गगज श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा को विक्रय कर दिया। श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2013 को मूल भूखण्ड का पूर्वी भाग क्षेत्र 96.00 वर्गगज श्री गोविन्द टांक पुत्र श्री कालूराम टांक एवं श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री गोविन्द टांक को विक्रय कर दिया। दिनांक 02.09.2020 को श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री गोविन्द टांक की मृत्यु हो गई जिसके उपरान्त श्री नरेन्द्र टांक, श्री त्रिलोक टांक एवं ज्योति टांक पुत्र-पुत्रीयान श्री गोविन्द टांक ने जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 24.12.2020 को उक्त भूखण्ड पर से अपना हक श्री गोविन्द टांक पुत्र श्री कालूराम टांक के पक्ष में हकत्याग कर दिया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर श्री गोविन्द टांक पुत्र श्री कालूराम टांक द्वारा भूखण्ड संख्या 40 (पूर्वी भाग) श्याम नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (बस्ती - सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्रफल 96.00 वर्गगज का उप विभाजन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के उप विभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उप विभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (विधाधर जोन) नगर निगम सेंटर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडभीम, जिला करौली
क्रमांक/न्याय/कोर्ट/2026/269
दिनांक:22.1.2026
उनवान ओमप्रकाश बनाम कमली
उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आपके प्रतिवादीगण सीम पुत्री रघुवर पत्नि सुरेश निवासी भुकरावली तहसील सुरौठ सुशीला पत्री बतास्या पत्नि गंगाधर, निवासी मोहनपुर सांथा, निरी पुत्री रघुवर पत्नि जगदीश जति मीना निवासी ईननिया तहसील हिण्डौन सिटी, देवी पुत्री खुट्टी पत्नि श्री किशन जाति मीना निवासी हुडला तहसील महवा जिला दौसा, पिस्ता पुत्री मीठया पत्नि रामसवरूप जाति मीना निवास टीकरी तहसील महवा जिला दौसा, जीतेन्द्र पुत्र शिवलाल निवासी मेरेडा तहसील टोडभीम को दावे के संबंध में सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचर पत्र के माध्यम से प्रकाशन करवाकर समाचर पत्र की प्रति प्रस्तुत करे। प्रकरा में आगामी तरीख पेशी 05-02-2026 नियत है। संलग्न:-तलवी नोटिस
(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6(I)DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/837 Date : 03-02-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3458491	Row, Outside Gokul Bhai Bhatt Smriti Udhyan, Khadi Colony Rakdi, Ward No.42, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

सार्वजनिक विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य (SP Agarwal & Family) निवासी A-78/79, सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर, जयपुर 302016, की एक भूमि गफूरपुरा, खसरा नंबर 34, (सवाईमाधोपुर रोड), पटवार हल्का वजीरपुर, तहसील एवं जिला टोंक (राजस्थान) में स्थित है। यह जानकारी में आया है कि उक्त भूमि के कुछ प्लॉटों के फर्जी / कूट रचित एग्रीमेंट तैयार कर बिना किसी वैध अधिकार-पत्र के गैरकानूनी रूप से बेचने करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः सर्वसाधारण को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य (SP Agarwal & Family) की लिखित एवं वैधानिक अनुमति के बिना उपरोक्त वर्णित भूमि/ प्लॉट से संबंधित किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, समझौता, एग्रीमेंट या लेन-देन पूर्णतः अवैध एवं शून्य (Null & Void) माना जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की स्वयं की होगी। सर्वसाधारण से अनुरोध है कि खसरा नंबर 34 स्थित उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय या प्रस्ताव से पूर्व हमसे अथवा मेरे अभिभाष्य (SP Agarwal & Family) से अनिवार्य रूप से संपर्क कर सत्यापन करलें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता से बचा जा सके।
Tathaastu Juris LLP, Advocates & Consultants
वैशाली नगर जयपुर, 8561088888

नाम संशोधन
मैं द्वारिका प्रसाद मीना पुत्र मदनलाल मीना जाति मीना नि. दानालपुर तह. श्री महावीरजी जिला करौली राजस्थान वहलफ बयान करता हूं कि रोहित कुमार जारेडा मेरा सगा पुत्र है जिसने सत्र 2022-23 में ICSE बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की थी जिसकी जन्मतिथि 11.07.2008 है। मेरे पुत्र के विद्यालय/ बोर्ड के रिकोर्ड में माता का नाम सहवन से हेमलता मीना (HEMLATAMEENA) दर्ज है जबकि माता का सही नाम अमलेता (AMALETA) है। यह कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में माता का सही नाम अमलेता है जो कि मेरे पुत्र के अधिकारिक और वैध सभी दस्तावेजों में दर्ज है जो कि सही व सत्य है। दोनो नाम के व्यक्ति एक ही है अलग अलग नही है। यह कि अब मेरे पुत्र के कक्षा 10वी के मार्कशीट में माता के नाम में हेमलता मीना के स्थान पर अमलेता करवाने के एवं उक्त शपथपत्र प्रस्तुत हैं।

Public Notice
Notice is hereby given that the Company SANSKAR MARINE ACADEMY PRIVATE LIMITED, having its Registered Office at Office No-110, First Floor, Evershine Tower, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302019.
Proposes to shift its Registered Office from the State of Rajasthan to the State of Uttar Pradesh Unit No.T3, UG floor A-18, NX-One Plot No. GH-17, Techzone-IV, Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201306 pursuant to Sections 12 and 13 of the Companies Act, 2013.
Any person whose interest is likely to be affected may communicate his objection within 21 days from the date of publication of this notice to the Regional Director (Northern Region), Ministry of Corporate Affairs.
By Order of the Board
For Sanskar Marine Academy Private Limited

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5858/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम अशोक लालवानी पुत्र स्व.श्री तीरथदास लालवानी जाति...
विवाद स्थान एन-81, आदिनाथ नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
मृतक तीरथ दास लालवानी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 05.03.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम तीरथ दास लालवानी पुत्र जसुमल लालवानी निवासी प्लाट नं. 40 कंवर नगर चांदी की टकसाल जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 03 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 17 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक तीरथ दास के नाम प्रा.पत्र में वर्णित P.P.F. खाते की राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

खोया पाया
मेरा जेडीए योजना दीनदयाल नगर कालवाड रोड का प्लॉट नंबर 278 का ओरिजिनल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है कृपया मिलने पर सूचित करें विकास कुमार सुरोलिया- 9602955520
मेरे मकान 10/654 मालवीय नगर का मूल अलॉटमेंट लेटर डिक्लेरेशन लेटर चैन डॉक्यूमेंट एवं अन्य कागजात मालवीय नगर में कहीं गिर गए मिलने पर सूचित करें- मोहनलाल 9784991709
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी, मेरा आवासीय प्लॉट संख्या सी-296, अनुपम विहार योजना, अजमेर रोड-जयपुर का कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे रेनू विजय -9252679553
फ्लैट नंबर ओपल 411, चौथी मंजिल, अर्बाना ज्वेल्स, Opp. सेज़ रोड के सामने, मुहाना टर्मिनल मार्केट के सामने, सांगानेर, जयपुर। फ्लैट की मूल बिक्री,और बिल्डर एग्रीमेंट कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें 9950846989
मेरे प्लॉट नं. डी-125 योजना प्रेम हैबिटैट डी-ब्लॉक JDA का मूल पट्टा, स्टाम्प पेपर, साइड प्लान कही गुम हो गया मिलने पर संपर्क करें पुनीत पुरोहित 9829533555

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम स्नेहलता सिंह से बदलकर स्नेहलता रख लिया है। भविष्य में मुझे स्नेहलता पत्नी श्री बंशीधर सिंह के नाम से जाना जावे निवासी डी-9/210 चित्रकूट योजना, वैशालीनगर, जयपुर राजस्थान-302021
मैं शैफाली गुप्ता पुत्री श्री किशन चन्द गुप्ता, पत्नी श्री आनन्द कुमार मित्तल निवासी 508, रिद्धि सिद्धि टावर विद्याधर नगर जयपुर। मैंने मेरा नाम SHAIPHALI GUPTA से परिर्वतन कर SHEFALI GUPTA रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।
मैंने मेरा नाम गिरिराज से बदलकर गिरिराज रेगर रख लिया है भविष्य में मुझे गिरिराज रेगर पुत्र मांगीलाल के नाम से जाना जाये।
I army no 14407188M Ex Hav Anil kumar resident of plot no 134 Vinayak vihar niwaru road jhotwara jaipur that i want to change name of my spouse From KAJAL To KAJAL KUMARI vide affidavit dated 29 January 2026 before district sub majistrate Jaipur city north
I have changed my name from SANTWANA BAL to SANTANA SAMAJPATI for all future purposes. SANTANA SAMAJPATI W/o Pannalal Samajpati R/o- Ghugragachi, PO-Nabarupdah, Dist- Nadia, Pin-741502, W.B.

(नियम 130 व 131) अपील की सूचना के अन्तर्गत धारा 385 [1] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश चौमू जिला-जयपुर
मु० नं0 9/2024
निगरानी याचिका
मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार
अपील निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.03.2024 के प्रोटेस्ट पिटिशन मुकदमा नम्बर 322/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि अपीलान्ट की उपरोक्त अपील इस न्यायालय मे दिनांक 25.02.2026 बजे 10.00 ए.एम. को सुनी एवं निर्णित की जाएगी।
अपर सैशन न्यायाधीश चौमूं जिला-जयपुर
बनाम (1) विशम्भर दयाल जोशी पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा अध्यक्ष बदनपुरा (फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, 6 डी, बीला स्टेशन रोड़, जयपुर जिला-जयपुर।
(2) महेश बागडा पुत्र नामालूम, निवासी बदनपुरा (फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि०. 6 डी, बीला स्टेशन रोड़, जयपुर जिला-जयपुर।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला -कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
भग्गू बनाम गीता देवी वगैरह
दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मु० नं. 97/2025 प्रार्थना पत्र 212
आर टी एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 90/2025
बनाम गीता देवी पुत्री चतरा जाति कुम्हार, झूमा देवी पुत्री मालीराम जाति कुम्हार, नर्बदा देवी पुत्री चतरा जा